



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 880]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 23, 2016/पौष 2, 1938

No. 880]

NEW DELHI, FRIDAY DECEMBER 23, 2016/PAUSA 2, 1938

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 2016

सा.का.नि.1168(अ).—नागरिकता अधिनियम 1955 (1955 का 57) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार नागरिकता नियम, 2009 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नागरिकता (संशोधन) नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. नागरिकता नियम, 2009 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में नियम 11 के उप नियम (3) में, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“परन्तु यह और कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदायों (अर्थात् हिन्दू, सिक्ख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई) से संबंधित किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत आवेदन की बाबत कलेक्टर की अनुपस्थिति में, कलेक्टर द्वारा लिखित में प्राधिकृत कोई अधिकारी जो उप-खंड मजिस्ट्रेट की पंक्ति से कम का न हो आवेदक को राज्य निष्ठा की शपथ दिलाएगा।”

3. उक्त नियम के नियम 38 के उप-नियम (1) में, परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“परन्तु यह और कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदायों (अर्थात् हिन्दू, सिक्ख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई) से संबंधित किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत आवेदन की बाबत कलेक्टर, उप-आयुक्त अथवा जिला मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में, आवेदन अथवा घोषणा, यथास्थिति, कलेक्टर, उपायुक्त अथवा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा लिखित में प्राधिकृत कोई अधिकारी जो उप-खंड मजिस्ट्रेट की पंक्ति से कम का न हो, की उपस्थिति में हस्ताक्षरित की जाए या शपथ दिलाई जाए।”

4. उक्त नियमों की अनुसूची 1 में,-

(क) प्रारूप 2 में,-

- (i) “(*नागरिकता नियम..... जिला मजिस्ट्रेट)” शब्दों के स्थान पर “** नागरिकता नियम, 2009 के नियम 38 के अधीन प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर और पदाभिदान” शब्द रखें;
- (ii) “आवेदक द्वारा आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज” शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप करें;
- (ख) प्रारूप 3 में, -
- (i) “(*नागरिकता नियम..... जिला मजिस्ट्रेट)” शब्दों के स्थान पर “**नागरिकता नियम, 2009 के नियम 38 के अधीन प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर और पदाभिदान” शब्द रखें;
- (ii) “आवेदक द्वारा आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज” शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप करें;
- (ग) प्रारूप 4 में, -
- (i) “(* नागरिकता नियम..... जिला मजिस्ट्रेट)” शब्दों के स्थान पर “** नागरिकता नियम, 2009 के नियम 38 के अधीन प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर और पदाभिदान” शब्द रखें;
- (ii) “आवेदक द्वारा आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज” शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप करें;
- (घ) प्रारूप 5 में,
- (i) “(* नागरिकता नियम..... जिला मजिस्ट्रेट)” शब्दों के स्थान पर “** नागरिकता नियम, 2009 के नियम 38 के अधीन प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर और पदाभिदान” शब्द रखें;
- (ii) “आवेदन द्वारा आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज” शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप करें;
- (ङ.) प्रारूप 6 में, -
- (i) “(* नागरिकता नियम..... जिला मजिस्ट्रेट)” शब्दों के स्थान पर “**नागरिकता नियम, 2009 के नियम 38 के अधीन प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर और पदाभिदान” शब्द रखें;
- (ii) “आवेदक द्वारा आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज” शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप करें;
- (च) प्रारूप 7 में, -
- (i) “(* नागरिकता नियम..... जिला मजिस्ट्रेट)” शब्दों के स्थान पर “**नागरिकता नियम, 2009 के नियम 38 के अधीन प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर और पदाभिदान” शब्द रखें;
- (ii) “आवेदक द्वारा आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज” और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप करें;
- (छ) प्रारूप 8 में, “आवेदक द्वारा आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज” प्रविष्टियों के अधीन, पैरा 3 का लोप करें।
5. उक्त नियमों की अनुसूची 4 में, क्र. सं. 1 और क्र.सं. के और उससे संबंधित प्रविष्टियों 2 स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्याएं और प्रविष्टियाँ रखी जाएगी, अर्थात् :-

क्र.सं.	वह विषय जिसमें फीस ली जानी है	फीस की रकम	
		भारत में (रु.)	अन्यत्र (रु.)
1.	अधिनियम की धारा 5 के अधीन भारत के नागरिक के रूप में रजिस्ट्रीकरण -		
	(1) धारा 5(1) (क) और धारा 5(1) (ख) के अधीन -		
	(क) अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय (अर्थात् हिन्दू, सिक्ख, बौद्ध, जैन, पारसी तथा ईसाई) से संबंध रखने वाले व्यक्तियों की बाबत -		
	(i) आवेदन के साथ	100	
	(ii) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करना	100	
	(ख) उपरोक्त (क) के अधीन न आने वाले सभी अन्य व्यक्ति -		
	(i) आवेदन के साथ	500	
	(ii) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करना	5,000	
	(2) धारा 5(1) (ग) के अधीन -		
	(क) अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय (अर्थात् हिन्दू, सिक्ख, बौद्ध, जैन, पारसी तथा ईसाई) से		

	संबंध रखने वाले व्यक्तियों की बाबत – (i) आवेदन के साथ 100 (ii) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करना 100 (ख) उपरोक्त (क) के अधीन न आने वाले सभी अन्य व्यक्ति – (i) आवेदन के साथ 500 (ii) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करना 10,000 (3) धारा 5(1) (घ) और धारा 5(4) के अधीन – (क) अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय (अर्थात् हिन्दु, सिक्ख, बौद्ध, जैन, पारसी तथा ईसाई) से संबंध रखने वाले व्यक्तियों की दशा में– (i) आवेदन के साथ 100 (ii) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करना 100 (ख) उपरोक्त (क) के अधीन न आने वाले सभी अन्य व्यक्ति – (i) आवेदन के साथ 250 (ii) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करना 3,000 (4) धारा 5(1) (ड.) और धारा 5(1) (च) के अधीन – (क) अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय (अर्थात् हिन्दु, सिक्ख, बौद्ध, जैन, पारसी तथा ईसाई) से संबंध रखने वाले व्यक्तियों की बाबत – (i) आवेदन के साथ 100 (ii) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करना 100 (ख) उपरोक्त (क) के अधीन न आने वाले सभी अन्य व्यक्ति – (i) आवेदन के साथ 500 (ii) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करना 5,000 (5) धारा 5(1) (छ) के अधीन – (i) आवेदन के साथ 500 (ii) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करना 5,000	500 15,000 500 4,000
2.	अधिनियम की धारा 6(1) के अधीन भारत के नागरिक के रूप में देशीयकरण – (क) अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय (अर्थात् हिन्दु, सिक्ख, बौद्ध, जैन, पारसी तथा ईसाई) से संबंध रखने वाले व्यक्तियों की बाबत – (i) आवेदन के साथ 100 (ii) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करना 100 (ख) उपरोक्त (क) के अधीन न आने वाले सभी अन्य व्यक्ति – (i) आवेदन के साथ 1,500 (ii) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करना 13,500	

[फा. सं. 26030/266/2014-आई सी- II]

मुकेश मित्तल, संयुक्त सचिव

टिप्पणी – मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना सं. सा. का. नि. 124(अ), तारीख 25 फरवरी, 2009 द्वारा संशोधन किए गए थे और तत्पश्चात्, अधिसूचना सं. और सा.का.नि. 35(अ), तारीख 16 जनवरी, 2015 द्वारा संशोधन किए गए।

**MINISTRY OF HOME AFFAIRS
NOTIFICATION**

New Delhi, the 23rd December, 2016

G.S.R.1168(E).— In exercise of the powers conferred by section 18 of the Citizenship Act, 1955 (57 of 1955), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Citizenship Rules, 2009, namely:—

1. (i) These rules may be called the Citizenship (Amendment) Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Citizenship Rules, 2009 (hereinafter referred to as the said Rules), in rule 11, in sub-rule (3), the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided that in respect of an application submitted by any person belonging to minority community in Afghanistan, Bangladesh and Pakistan (namely, Hindus, Sikhs, Buddhists, Jains, Parsis and Christians), in the absence of the Collector, an officer not below the rank of the Sub-Divisional Magistrate authorised in writing by the Collector, may administer to the applicant the oath of allegiance.”.

3. In rules 38 of the said Rules, in sub-rule (i), after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided further that in respect of an application submitted by any person belonging to minority community in Afghanistan, Bangladesh and Pakistan (namely, Hindus, Sikhs, Buddhists, Jains, Parsis and Christians), in the absence of the Collector, Deputy Commissioner or the District Magistrate, the application or declaration may be signed in the presence of, or the oath administered by, an officer not below the rank of the Sub-Divisional Magistrate authorised in writing by the Collector, or Deputy Commissioner or the District Magistrate, as the case may be.”.

4. In Schedule I to the said Rules,—

(a) in Form II,—

(i) in the sentence under asterisk (*) marks, the words and brackets “before whom the registration, declaration or oath of allegiance is made or taken (i.e. the Collector, Deputy Commissioner, District Magistrate)” shall be omitted;

(ii) under the entries relating to Documents to be attached with the application by the applicant, paragraph 4 shall be omitted;

(b) in Form III,—

(i) in the sentence under asterisk (*) marks, the words and brackets “before whom the registration, declaration or oath of allegiance is made or taken (i.e. the Collector, Deputy Commissioner, District Magistrate)” shall be omitted;

(ii) under the entries relating to Documents to be attached with the application by the applicant, paragraph 5 shall be omitted;

(c) in Form IV,—

(i) in the sentence under asterisk (*) marks, the words and brackets “before whom the registration, declaration or oath of allegiance is made or taken (i.e. the Collector, Deputy Commissioner, District Magistrate)” shall be omitted;

(ii) under the entries relating to Documents to be attached with the application by the applicant, paragraph 4 shall be omitted;

(d) in Form V,—

(i) in the sentence under asterisk (*) marks, the words and brackets “before whom the registration, declaration or oath of allegiance is made or taken (i.e. the Collector, Deputy Commissioner, District Magistrate)” shall be omitted;

(ii) under the entries relating to Documents to be attached with the application by the applicant, paragraph 4 shall be omitted;

(e) in Form VI,—

(i) in the sentence under asterisk (*) marks, the words and brackets “before whom the registration, declaration or oath of allegiance is made or taken (i.e. the Collector, Deputy Commissioner, District Magistrate)” shall be omitted;

(ii) under the entries relating to Documents to be attached with the application by the applicant, paragraph 4 shall be omitted;

(f) in Form VII, —

(i) in the sentence under asterisk (*) marks, the words and brackets “before whom the registration, declaration or oath of allegiance is made or taken (i.e. the Collector, Deputy Commissioner, District Magistrate)” shall be omitted;

(ii) under the entries relating to Documents to be attached with the application by the applicant, paragraph 3 shall be omitted;

(g) in Form VIII, under the entries relating to Documents to be attached with the application by the applicant, paragraph 3 shall be omitted.

5. In Schedule IV to the said Rules, for serial numbers 1 and 2 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely:—

Sl. No.	Matter in which fee is to be taken	Amount of fee	
		In India (Rs.)	Elsewhere (Rs.)
“1.	Registration as a citizen of India under section 5 of the Act—		
	(1) Under section 5(1)(a) and 5(1)(b)—		
	(a) in respect of persons belonging to minority community in Afghanistan, Bangladesh and Pakistan (namely, Hindus, Sikhs, Buddhists, Jains, Parsis and Christians)—		
	(i) With the application	100	
	(ii) Grant of certificate of registration	100	
	(b) for all others not covered under (a) above—		
	(i) With the application	500	
	(ii) Grant of certificate of registration	5,000	
	(2) Under section 5(1)(c)—		
	(a) in respect of persons belonging to minority community in Afghanistan, Bangladesh and Pakistan (namely, Hindus, Sikhs, Buddhists, Jains, Parsis and Christians)—		
	(i) With the application	100	
	(ii) Grant of certificate of registration	100	
	(b) for all others not covered under (a) above—		
	(i) With the application	500	500
	(ii) Grant of certificate of registration	10,000	15,000
	(3) Under section 5(1)(d) and 5(4)—		
	(a) in respect of persons belonging to minority community in Afghanistan, Bangladesh and Pakistan (namely Hindus, Sikhs, Buddhists, Jains, Parsis and Christians)—		
	(i) With the application	100	
	(ii) Grant of certificate of registration	100	
	(b) for all others not covered under (a) above—		

	(i) With the application	250	500
	(ii) Grant of certificate of registration	3,000	4,000
	(4) Under section 5(1)(e) and 5(1)(f)—		
	(a) in respect of persons belonging to minority community in Afghanistan, Bangladesh and Pakistan (namely, Hindus, Sikhs, Buddhists, Jains, Parsis and Christians)—		
	(i) With the application	100	
	(ii) Grant of certificate of registration	100	
	(b) for all others not covered under (a) above—		
	(i) With the application	500	
	(ii) Grant of certificate of registration	5,000	
	(5) Under section 5(1)(g)—		
	(i) With the application	500	
	(ii) Grant of certificate of registration	5,000	
2.	Naturalisation as a citizen of India under section 6(1) of the Act—		
	(a) in respect of persons belonging to minority community in Afghanistan, Bangladesh and Pakistan (namely, Hindus, Sikhs, Buddhists, Jains, Parsis and Christians)—		
	(i) With the application	100	
	(ii) Grant of certificate of registration	100	
	(b) for all others not covered under (a) above—		
	(i) With the application	1,500	
	(ii) Grant of certificate of registration	13,500	

[F.No. 26030/266/2014-IC-II]

MUKESH MITTAL, Jr. Secy.

Note.—The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification number G.S.R. 124(E), dated the 25th February, 2009 and subsequently amended *vide* notification numbers ----- and G.S.R. 35(E), dated the 16th January, 2015.